संख्या– — / ।।–02–2020–04(03)/2018

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 14 जनवरी, 2020

विषयः **वित्तीय वर्ष 2019–20 में नाबार्ड द्वारा RIDF-XIX, RIDF-XX, RIDF-XXI, RIDF-XXII, RIDF-XXIII, एवं RIDF-XXIV के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1811/प्र0अ0/बजट/बी–1(सामान्य)/कैम्प दिनांक 16.12.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–531/।।–2019–04 (03)/2018, दिनांक 15.05.2019, शासनादेश संख्या–664/।।(2)–2019–04(03)/2018 टीसी, दिनांक 02.08.2019 एवं शासनादेश संख्या–1257/।।–2019–04(03)/2018, दिनांक 11.10.2019 के क्रम में नाबार्ड द्वारा RIDF-XIX, RIDF-XX, RIDF-XXI, RIDF-XXII, RIDF-XXIII, एवं RIDF-XXIV के अन्तर्गत स्वीकृत नहर निर्माण, नलकूप निर्माण, लिफ्ट एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की संगत मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत **परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरणानुसार** कुल रू0 **8627.77** लाख (रू0 छियासी करोड़ सताइस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) उक्त धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा नाबार्ड से RIDF-XXIV के अन्तर्गत योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि के विस्तार सम्बन्धी स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ नाबार्ड की स्वीकृति भी प्राप्त करेंगे।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलबध कराई जाय।

(iii) उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय। साथ ही अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य वित्तीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाय।

(iv) निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(v) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वेज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा।

क्रमशः.....2

(ix) कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(x) विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(xi) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–10 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xiii) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(xiv) उल्लिखित कार्यों/योजनाओं के आगणनों में स्वीकृत डिजाईन/मानक एवं दरों तथा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत परिशिष्ट–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश सं0–254/3(150)–2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 एवं शासनादेश 1034/3(150)–2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत की जा रही है।

संलग्न–यथोक्त

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या–1986 (1)/ II–02–2020–04(03)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ, देहरादून।
3– निजी सचिव–मा0 सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– वित्त अनुभाग–1 /2, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

क्रमशः.....3

परिशिष्ट—1

शासनादेश संख्या1986(1)/ II—02—2020—04(03)/2018, दिनांक 14 जनवरी, 2020 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2019—20 में अवशेष प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—04—नलकूपो का निर्माण—051—निर्माण —98—नाबार्ड पोषित—01—RIDF योजना—24—वृहद निर्माण कार्य।	2120.35	438.38
2	4700— मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—07 —उत्तराखण्ड की लघुडाल नहरों का पुनरोद्धार—051—निर्माण—98—नाबार्ड पोषित—01—नहरो का निर्माण—24—वृहद निर्माण कार्य।	619.44	600.00
3	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—06—निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/ अन्य योजनायें— 051—निर्माण —98—नाबार्ड पोषित—01—नहरों का निर्माण—24—वृहद निर्माण कार्य।	5490.88	4089.39
4	4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—01—बाढ़ नियंत्रण—051—निर्माण—98—नाबार्ड पोषित—01—बाढ़ नियंत्रण कार्य— 24—वृहद निर्माण कार्य।	3550.00	3500.00
	योग	11780.67	8627.77

(रू0 छियासी करोड़ सताइस लाख सतहत्तर हजार मात्र)

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।